

348

न्याय श्रौमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प० राजस्व म० ग्वालियर म०

1990-I-16

रा० प० क्र०

सन

मौतो नाथ तनय लक्ष्मन नाथ

निवासी चौधरी खेरा भोयरा तहसील

घुमारा जिला छतरपुरम०प०

निगरानी कर्ता

बनाम

श्री. ~~धर्मराज...~~  
को  
द्वारा आज दि. 22.6.16 को  
प्रस्तुत  
जिलका ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- गनेश तनय सोना नाथ

निवासी चौधरी खेरा भोयरा तहसील घुमारा

जिला छतरपुरम०प०

2- हरी तनय लक्ष्मन नाथ

3- सिरदार तनय लक्ष्मन नाथ

4- सुखदीन तनय लक्ष्मन नाथ

5- प्रकाश तनय लक्ष्मन नाथ

6- रज्जू तनय लक्ष्मन नाथ

7- कुसुम पुत्री लक्ष्मन नाथ समस्त निवासीगण

ग्राम चौधरी खेरा भोयरा तहसील घुमारा

जिला छतरपुरम०प०

उत्तरवादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म०प०भूरा०संहिता ।

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिक

महोदय बडामलहरा के प्रकरण क्रमांक 7/अपील/13-14 में

पारित आदेश दिनांक 30/5/16 से दुखित होकर ।

महोदय ,

प्रार्थी/ निगरानी कर्ता की ओरसे सादर निम्न लिखित निगरा

Dehatundi  
22/6/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1990-एक/2016

जिला छतरपुर

मोतीनाथ विरूद्ध गनेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 07/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019</p>